

प्रेस विज्ञप्तिथाना सिधारी

मोटरसाईकिल व सोने की चैन लूटने वाले गिरोह के 05 लूटेरे गिरफ्तार, तीन अदद तमन्चा, एक अदद चाकू, एक मो0सा0 (लूट की), एक मो0सा0(लूट में प्रयुक्त), एक मोबाईल, एक राडो घड़ी, एक सोने की चैन भी बरामद

दि0 07.07.21 को दिव्यान्शु वर्मा पुत्र सन्तोष वर्मा मुहल्ला सीताराम दलालघाट रोड आजमगढ़ थाना कोतवाली आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिये कि दि 0 06/07/2021 को लगभग 08.00 बजे शाम को मैं अपनी मो 0सा0 न 0 UP50BM7735 यमहा R15 से घुमने सम्मोपुर से होते हुए नदी किनारे जा रहा था कि पिछे से एक मोटर साईकिल पर तीन लोग सवार होकर मेरा पिछा कर के मेरी मोटरसाईकिल रोक कर मेरे कनपट्टी पर कट्टा सटाकर मेरी मोटरसाईकिल छिनकर सम्मोपुर की तरफ भाग गये। तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 161/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे लूटेरो ,माफियो की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियो की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में दिनांक-08.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 161/21 धारा 392 भादवि से सम्बंधित अभियुक्तगणो की तलाश हेतु लगातार चैकिंग की जा रही थी कि जरिये मुखवीर सूचना मिली कि जो दिनांक 06.07.2021 को सम्मोपुर गाँव के बाहर मोटरसाईकिल, मोबाईल, घड़ी, सोने चैन लूटे थे वही लूटेरे पाँच लोग शाहगढ़ के आगे रेलवे क्रासिंग गौशाला के पास रेलवे लाईन किनारे एकान्त में लूटे हुए माल का बटवारा कर रहे है। मुखवीर की सूचना पर विश्वास करके मकसद मुखवीरी हमराहीयान को बताकर क्षेत्र में भ्रमणशील नि 0अ0 विजय प्रताप सिंह मय राह हे 0का0 पंकज भारती, का0 अभिषेक पाण्डेय व उ0नि0 जाफर खाँ को मकसद बताकर तलब किया गया। नि0अ0 मय रीहयान व उ0नि0 जाफर खाँ आ गये। मुखवीर खास को साथ लेकर शाहगढ़ रेलवे क्रासिंग के पहले सड़क के किनारे दोनो वाहनो को आड़ में खड़ा कराकर पुलिस टीम सरकारी वाहन से उतरकर मुखवीर को साथ लेकर अपने को झाड़ झंखाड़ से अपने अपने को छिपते छिपाते शाहगढ़ गौशाला के तरफ बढ़े कि गौशाला के पूरब तरफ कुछ दूरी पर झाड़ की आड़ में पाँच ब्यक्ति आपस में कुछ बटवारा कर रहे थे कि मुखवीर खास ने बैठे व बटवारा कर रहे ब्यक्तियो के तरफ इशारा करके बताया कि वही है जो लूट के सामान का बटवारा कर रहे है और पिछे मुड़कर चला गया कि पुलिस टीम द्वारा पाँचों को मौके से समय 13.15 बजे दिन पकड़ लिया गया। पकड़े गये ब्यक्तियो का क्रमशः नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम रवि रावत पुत्र अनील रावत सा 0मो0 पुरानी कोतवाली आशिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, दूसरे ने अपना नाम सिन्दू निषाद पुत्र खरभान निषाद उर्फ खुड्भुड निषाद सा 0मो0 दलालघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, तीसरे ने अपना नाम भोलू सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह पुत्र स्व 0 राजेश सिंह सा 0 बाकी खुर्द थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर, चौथे ने अपना नाम अभिषेक सिंह पुत्र गुड्डू सिंह सा 0 बाकी खुर्द थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर, पाँचवे ने अपना नाम विशाल खरवार उर्फ मनीष खरवार उर्फ निरहू पुत्र बाबूल खरवार बाकी खुर्द थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष बताया। रवि रावत के कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर दो अदद कारतूस (एक जिन्दा व एक मिस) तथा पीले धातु की चैन टूटी हुई एक टुकड़ा जिसका वजन 5.710 ग्राम बरामद हुआ। सिन्दू निषाद के कब्जे से एक अदद तमन्चा .303 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर व एक अदद पीली धातु का टूटा हुआ चैन बरामद हुआ। जिसका वजन 6.490 ग्राम है। भोलू सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह के कब्जे से मो0सा0 यामाहा UP 50 BM 7735, R15S सफेद कलर तथा एक अदद चाकू बरामद हुआ। अभिषेक सिंह पुत्र गुड्डू सिंह के कब्जे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। एक अदद Rado घड़ी गोल्डेन कलर व मो0सा0 UP61AH8641(लूट मे प्रयुक्त) बरामद हुआ। विशाल खरवार उर्फ मनीष खरवार उर्फ निरहू के कब्जे से एक अदद सैमसंग का मोबाईल बरामद हुआ। वादी दिव्यान्शु को बुलाया गया तो दिव्यान्शु व दिव्यान्शु के पिता सन्तोष वर्मा आ गये है तब मोटरसाईकिल, घड़ी, पीली धातु की चैन, मोबाईल को दिखाया गया तो देखते ही बताये कि यह मेरा ही सामान है। पकड़े गये ब्यक्तियो को अपराध का बोध कराकर दि 0 08.07.2021 समय 15.55 बजे वहद ग्राम शाहगढ़ (गौशाला के पूरब रेलवे लाईन के पास) गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या

1. मु0अ0सं0 161/2021 धारा 395/412/34 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 163/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 164/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 165/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 166/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

6. मु0अ0सं0 167/21 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी

1. एक अदद तमन्चा 12 बोर दो अदद कारतूस (एक जिन्दा व एक मिस)
2. एक अदद तमन्चा .303 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर
3. एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
4. एक अदद चाकू
5. एक अदद मो0सा0 (लूट की), एक अदद मो0सा0(लूट में प्रयुक्त)
- 6- एक अदद मोवाईल समसंग, एक अदद राडो घड़ी, एक अदद चैन पीली धातु का दो टुकड़ो मे

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. रवि रावत पुत्र अनील रावत सा0मो0 पुरानी कोतवाली आशिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. सिन्टू निषाद पुत्र खरभान निषाद उर्फ खुड़भुड़ निषाद सा0मो0 दलालघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. भोलू सिंह उर्फ प्रियान्शु सिंह पुत्र स्व0 राजेश सिंह सा0 बाकी खुर्द थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर
4. अभिषेक सिंह पुत्र गुड्डू सिंह सा0 बाकी खुर्द थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर
5. विशाल खरवार उर्फ मनीष खरवार उर्फ निरहू पुत्र बाबूल खरवार बाकी खुर्द थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
2. नि0अ0 विजय प्रताप सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 जाफर खाँ थाना सिधारी आजमगढ़
4. कां0 मनीष कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
5. कां0 अरविंद यादव थाना सिधारी आजमगढ़
6. कां0 नरेंद्र दुबे थाना सिधारी आजमगढ़
7. कां0 शिवम सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
8. हे0का0 पंकज भारती थाना सिधारी आजमगढ़
9. हे0 का0 मनोज यादव थाना सिधारी आजमगढ़
10. का0 अभिषेक पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़